



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 588/प.म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक 26/6/2018

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 8(क) एवं संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर आयोग की 130वीं सभा दिनांक 26/06/2018 एजेण्डा क्रमांक (130)-8(II) से लिए गये निर्णय के आधार पर मध्यांचाल प्राफेशनल विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में पूर्व से संचालित निम्नलिखित संस्थानों को विश्वविद्यालय की संगठक इकाई के रूप में संविलियन पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित प्रवेश हेतु स्वीकृत संख्या की अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 में प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :

1. पूर्व में संचालित संस्थान पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड साइंस, पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पटेल इंस्टीट्यूट फार्मेसी, पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल कॉलेज ऑफ लॉ को संगठक इकाई के रूप में संविलियन।
2. नये विभाग / छात्र संख्या।

Faculty	Department	Course	Intake
Faculty of Engineering Technology	Mechanical Engineering	Diploma	80
		B. Tech	120
	Electronics & Communication Engineering	M. Tech (Thermal)	18
		PhD	As per availability of seats
		B. Tech	120
Computer Science & Engineering	M. Tech (Digital Communication)	18	
	PhD	As per availability of seats	
Civil Engineering	B. Tech	80	
	M. Tech (CSE)	18	
	PhD	As per availability of seats	
Electrical & Electronics Engineering	Diploma	120	
		B. Tech	120
Faculty of Agriculture Science	Agriculture Science	M. Tech (CTM & Structure Engg.)	18 (Each)
		PhD	As per availability of seats
		Diploma	80
		B. Tech	120
		B.Sc. (H) Agriculture	180

Handwritten signature

Faculty of Science	Life Sciences	B.Sc. (Hon.) M.Sc. (Botany) M.Sc. (Zoology) M.Sc. (Bio - Technology) M.Sc. (Environmental Science) M. Phil Ph.D.	60 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Physical & Applied Sciences	B.Sc. (Hon.) M.Sc. (Applied Chemistry) M.Sc. (Geography) M.Sc. (Physics) M.Sc. (Mathematics) M.Sc. (Statistics) M. Phil PhD	120 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Information & Technology	DCA PGDCA B.Sc. (CS) B.Sc. (IT) BCA M.Sc. (CS) M.Sc. (IT) Ph.D.	120 120 60 60 120 30 30 As per availability of seats
Faculty	Dept.	Course	Intake
Faculty of Management studies and Commerce	Management Studies	BBA MBA Ph.D.	120 180 As per availability of seats
	Commerce	B.Com (Hon.) B.Com with Computer Application M.Com M. Phil Ph.D.	60 60 30 18 As per availability of seats
	LAW	BA LLB (H)	120
Faculty of Pharmacy, Nursing and Paramedical Sciences	Pharmacy	B. Pharm M. Pharm D. Pharm Ph.D.	100 36 60 As per availability of seats
	Nursing	GNM B.Sc. (N)	40 50
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, Education, Physical Education and Vocational Studies	Linguistic	B.A. (Hon.) M.A. (Hindi) M.A. (English) M.A. (Sanskrit) M. Phil Ph D	60 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Department of Social Sciences	B. A. (Hon.) M.A. (History) M.A. (Political Science)	120 30 30 30

Aditya

	M.A. (Geography)	30
	M.A. (Sociology)	30
	M.A. (Economics)	30
	MSW	18
	M. Phil	As per availability of seats
	Ph.D.	As per availability of seats
Education	B.ED	100
Vocational Education	Certificate	As ordinance 34


सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 588/B म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

प्रतिलिपि:—कुलसचिव, मध्यांचल प्राफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड, पोस्ट रातीबड तहसील हुजूर जिला भोपाल।


सचिव



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

1074

दिनांक 08/06/21

कमांक / म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग / स्थापना / भोपाल
प्रति,

कुलसचिव

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय,

रातीबड़, भोपाल।

विषय- मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत।

संदर्भ - आपका पत्र कमांक 71 दिनांक 22.12.2020

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या के अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव के परिशिष्ट में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2018 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन को आयोग की 166 वीं सभा की बैठक दिनांक 20.05.2021 के एजेण्डा कमांक कमांक (166)-09 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूर्ण विचारोपरत लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड़ भोपाल को उनके मुख्य परिसर में संचालित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S.no.	Courses	Ordinance No.	Approved Intake
1	MBA (Entrepreneurship)	41	60
2	MBA (NGO Management)	41	60
3	MBA (Hospital Administration)	41	60
4	MBA (banking insurance)	41	60
5	MBA (information technology)	41	60
6	MBA (Retail Management)	41	60
7	Diploma in Agriculture	54	240
8	Ph.D (Education)	47	As per availability of qualified guide

08/06/21

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आयोग की सभा में पूर्ण विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार सीटों की वृद्धि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

Permission for increase in intake in Computer Applications Course from Session 2020-21

S.No.	Course Name	Ordinance No.	Existing Intake	Additional Intake permitted	Total Intake
1	DCA	22	120	160	280
2	PGDCA	23	120	160	280

नोट:-

1. एम.बी.ए. कोर्स में अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव को अमान्य किया जाता है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में यदि पूर्व में अधिनियम की धारा 3(ख) के अंतर्गत अनुमति प्राप्ति नहीं की गई तो उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।

पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शर्तें :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक परिषदों के मापपद्धतियों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जाएंगे।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों (ए.आई.सी.टी. एवं आई.सी.ए.आर.) द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन/ मापपद्धतियों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराता अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों (एन.बी.ए.) से रैकिंग/ मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. नेशनल इस्टिब्लिशमेंटल रैकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप संस्था एवं संबंधित पाठ्यक्रमों की रैकिंग हेतु आवेदन करना होगा।
8. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जाना अनिवार्य होगा।
9. यू.जी.सी. के प्राधान्यानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की अंकसूची, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।
10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं आयोग द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर ग्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(विद्यमान म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. राहु)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक _____

पृ. क्र. _____ स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल
2. निज मस्ती

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल